

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062020-219919
CG-DL-E-12062020-219919

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1676] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2020/ज्येष्ठ 22, 1942
No. 1676] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2020/JYAISTHA 22, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली 12 जून, 2020
आय-कर

का.आ. 1879(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. संख्यांक 1790(अ), तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 19 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक
(1)	(2)	(3)
"20	2020-21	301"

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती वर्षों को लागू होंगी।

[अधिसूचना सं. 32/2020/फा.सं. 370142/17/2020-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड-(ii) में का.आ. 1790 (अ), तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं० 3266 (अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।